सत्यमेव जयते

दिल्ली विधान सभा

DELHI VIDHAN SABHA

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS

THIRD REPORT

लोक लेखा समिति

§तीसरा प्रतिवेदन§

(PRESENTED ON 26-3-1998)

§ को प्रस्तुत §

LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन दिल्ली की विधान सभा

गोपनीय

लोक लेखा समिति

(तीसरा प्रतिवेदन)

विषय सूची

भाग - 1

समिति का गठन

प्रस्तावना

भाग - II

1. लोक निर्माण विभाग

2. प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

भाग - ।

समिति का गठन

1.	कु. पूर्णिमा सेठी	चेयर पर्सन
2.	श्री ओ.पी. बब्बर	सदस्य
3.	श्री मदन लाल गाबा	सदस्य
4.	श्री देवेन्द्र सिंह	सदस्य
5.	श्री धर्मदेव सोलंकी	सदस्य
6.	श्री महिन्द्र सिंह साथी	सदस्य
7.	श्री सूरज प्रसाद पालीवाल	सदस्य

सचिवालय

1.	श्री पी.एन. गुप्ता	सचिव
2.	श्री वी.के. भटनागर	संयुक्त सचिव
3.	श्री ए.के. पुरोहित	समिति अधिकारी

सम्बद्ध अधिकारी

1.	श्री वीरेन्द्र सिंह	प्रधान सचिव (वित्त)
2.	श्री बी.एस. गिल	महालेखाकार (लेखा परीक्षण), दिल्ली

मैं, दिल्ली विधान सभा की लोक लेखा समिति की चेयर पर्सन, समिति द्वारा उसकी ओर से यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर 31 मार्च, 1994 ‖1995 की संख्या-3‖ को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु लोक निर्माण विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन के ऑडिट पैरा 3·13 से 3·15 और 31 मार्च, 1994 ‖1995 की संख्या-3‖ तथा 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु प्रशिक्षण एवं तकनीकी विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों को ऑडिट पैरा संख्या 3·2, 3·17 और 3·18 की जाँच से संबंधित समिति का यह तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ ।

समिति ने दिनांक 12.3.1998 को संपन्न अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे पारित किया ।

पुराना सचिवालय :

दिल्ली - 110 054

‖कु· पूर्णिमा सेठी‖
चेयर पर्सन
लोक लेखा समिति

दिनांक : 26-3-1998

प्रस्तावना

1. लोक लेखा समिति का गठन दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-192 के अंतर्गत किया गया है ।

2. समिति की नियुक्ति सार्वजनिक व्यय हेतु सदन द्वारा स्वीकृत धनराशियों के लेखा विनियोजन की जाँच करने के लिए की जाती है । लेखे के विनियोजन और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा उस पर प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन की छानबीन करने के संदर्भ में समिति को स्वयं अपने आपको इस बात से संतुष्ट करना आवश्यक होता है कि क्या जिस लेखे (एकाउन्ट्स) में धन वितरित किया गया दर्शाया गया था वह :

(क) वैधानिक रूप से उपलब्ध था और जिस सेवा या उद्देश्य हेतु उसे लागू या प्रभारित किया गया था, उस पर वह लागू होता था ।

(ख) क्या प्रत्येक पुनर्विनियोजन इस संबंध में किए गए प्रावधानों के अनुसार विनियोजन लेखों में या सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत किया गया है ।

(ग) क्या व्यय सक्षम प्राधिकारी को प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत किया गया है ।

3. इस संदर्भ में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में अपने अपने विभागों से संबंधित अनुच्छेदों (ऑडिट पैरा) के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा भेजी गई क्रियान्वयन टिप्पणियाँ (एक्शन टेकन नोट्स) ही समिति का प्रमुख साधन होती हैं ।

दिनांक 20-6-97 एवं 8-8-97 को सम्पन्न समिति की बैठक में जिसमें दिल्ली के एकाउन्टेंट जनरल भी उपस्थित थे । समिति ने 31-3-94 (1995 की संख्या53) तथा 31-3-96 के वर्ष हेतु नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में सन्निहित लोक निर्माण विभाग और प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से संबंधित लेखा अनुच्छेदों (ऑडिट पैरा) की जाँच का निर्णय लिया था । दिल्ली के एकाउन्टेंट जनरल से भी समिति ने इन लेखा अनुच्छेदों से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ज्ञापन (मेमोरेंडम) तैयार करने का अनुरोध किया था । तदनुसार महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ज्ञापन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था ।

(1) लोक निर्माण विभाग

दिल्ली विधान सभा की लोक लेखा समिति ने अपनी 11 बैठकों में 31 मार्च, 1994 (1995 की संख्या-3) को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में सन्निहित लोक निर्माण विभाग से संबंधित 3.13 से 3.15 तक के लेखा अनुच्छेदों (आडिट पैरा) को विचार के लिए सामने रखा ।

सर्वप्रथम समिति ने लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत क्रियान्वयन टिप्पणियों (एक्शन टेकन नोट्स) का अध्ययन किया तथा उसे सी.ए.जी. रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों के संदर्भ में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया । समिति ने सर्वसम्मति से महसूस किया कि 20-6-1997 को होने वाली उसकी अगली बैठक में प्रस्तुत करने हेतु विभाग से नई और अद्यतन क्रियान्वयन टिप्पणी माँगी जायें जिसमें समिति द्वारा उठाए गए विशिष्ट जाँच पड़ताल के मुद्दों से संबंधित उत्तर भी शामिल हो । वाँछित जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् समिति ने सावधानी-पूर्वक उस पर विचार किया और जाँच पड़ताल की ।

विस्तृत चर्चाओं, मौखिक साक्ष्य, विचारों के आदान-प्रदान तथा विभाग से प्राप्त उत्तरों के साथ तथ्यों की जाँच के उपरान्त समिति ने लेखा प्रतिवेदन के लेखा अनुच्छेदों पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत की ।

अनुच्छेद संख्या 3·13 : रेलवे द्वारा सीमेंट जब्ती के कारण घाटा

लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई :

400 मीट्रिक टन सीमेंट खरीदने हेतु विभाग द्वारा रु0:7·08 लाख का अग्रिम भुगतान किया गया था । तथापि, रेल गोदाम §शकुर बस्ती§ में मज़दूरों की हड़ताल के कारण विभाग को रेलवे रसीद के बावजूद सीमेंट प्राप्त नहीं कर सका । रेलवे प्राधिकारियों द्वारा सीमेंट जब्त कर ली गई थी । विभाग ने 1991 में 18 प्रतिशत ब्याज सहित 7·08 लाख रुपये का दावा रेलवे में दायर किया था ।

अक्तूबर, 1993 में 2 वर्ष के अन्तराल के पश्चात् केवल रु0:6482/- का दावा मंजूर किया और इस प्रकार 5·17 लाख रुपये का घाटा उठाना पड़ा ।

इस संबंध में समिति ने निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की :

§1§ उस अधिकारी के विरूद्ध की गई कार्यवाही, जिसने 40 मीट्रिक टन सीमेंट खरीदने हेतु 7·08 लाख रुपये का रेलवे का भुगतान हेतु 7·08 लाख रुरुपये का रेलवे का भुगतान करने की मंजूरी दी थी, जब कि वह ऐसी मंजूरी देने के लिए सक्षम नहीं था :

§2§ जिस परियोजना के लिए सीमेंट खरीदी गई थी परन्तु गोदाम से उठाई नही गई जिसके परिणाम-स्वरूप रेलवे ने सीमेंट जब्त कर लिया उसकी बढ़ी हुई लागत तथा इस वजह से सरकार को जो घाटा उठाना पड़ा :

§3§ क्या सीमेंट बाज़ार से खरीदी गई थी और यदि हाँ तो सरकार को इसकी वजह कुल कितना घाटा उठाना पड़ा :

§4§ क्या विभाग द्वारा दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई और यदि हाँ तो उसका विवरण क्या है :

§5§ रेलवे द्वारा सीमेंट की जब्ती का कारण तथा समय पर कोई दावा क्यों नहीं दायर किया गया :

§6§ क्या 7·08 लाख रुपये के विभाग के दावे को रेलवे द्वारा सिद्धांतः मंजूर किया गया । यदि नहीं तो विभाग द्वारा इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही की गई :

§7§ क्या किसी अन्य स्थान पर सीमेंट उतारने का कोई गंभीर प्रयास किया गया था, यदि हाँ तो उसका विवरण ।

विभाग द्वारा दिया गया उत्तर

§1§ समिति को सूचित किया गया कि सीमेंट जारी करने का माँग पत्र कार्यकारी अभियंता द्वारा पी·डब्ल्यू·डी· सर्किल संख्या-3 के अंतर्गत चल रहे विभिन्न कार्यों हेतु केन्द्रीय भण्डार प्रभाग को भेजा गया था ।

केन्द्रीय भण्डार प्रभाग द्वारा अपेक्षित मात्रा में सीमेंट जारी नहीं किया जा रहा था । केन्द्रीय भण्डार प्रभाग पहले ही सीमेंट की आपूर्ति हेतु आपूर्ति आदेश मैसर्ज उदयपुर सीमेंट वर्क्स को दे चुका था । तद्नुसार 400 मीट्रिक टन सीमेंट मैसर्ज उदयपुर सीमेंट वर्क्स द्वारा केन्द्रीय भण्डार प्रभाग संख्या-1 के नाम से 22-8-1991 को रेलवे के माध्यम से भेजा गया था । केन्द्रीय भण्डार ने कार्यकारी अभियंता, प्रभाग संख्या-17 के पक्ष में रेलवे रसीदों की पुष्टि की थी और उसे तद्नुसार भुगतान करने का परामर्श दिया था । यह भुगतान चैक द्वारा मैसर्ज उदयपुर सीमेंट वर्क्स को केन्द्रीय भण्डार प्रभाग-1 की ओर से 24-8-1991 को किया गया था । कार्यकारी अभियंता केन्द्रीय भण्डार प्रभाग को देने और उसे अग्रिम भुगतान करने में सक्षम है तथा इसके लिए मुख्य अभियंता की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है । चूँकि यह भुगतान कार्यकारी अभियंता, प्रभाग संख्या-17 द्वारा केन्द्रीय भण्डार की ओर से किया गया था इसलिए यह उसके अधिकारों क्षेत्र के अंतर्गत ही था ।

§2§ सीमेंट की आवश्यकता पी·डब्ल्यू·डी· सर्किल -3 के अंतर्गत चल रहे अनेक कार्यों के लिए पड़ी थी । अगस्त, 91 और सितम्बर, 91 के दौरान ठेकेदारों को अपेक्षित मात्रा में सीमेंट जारी करने में हुए विलंब के कारण कार्यों के पूरा होने पर नगण्य प्रभाव पड़ा था । बाद में केन्द्रीय भण्डार से सीमेंट उठा ली गई थी । इस कारण लागत में हुई वृद्धि का एकदम सही आकलन करना संभव नहीं है ।

§3§ सीमेंट बाजार से नहीं खरीदी गई थी । सीमेंट बाद में केन्द्रीय भण्डार प्रभाग से उठाई गई थी ।

समिति को यह भी बताया गया कि दिए गए उपरोक्त उत्तरों की दृष्टि से जवाबदेही तय करने की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

§5§ 5-9-1991 को §अपराह्न§ मज़दूरों की हड़ताल समाप्त हो गई थी और जब कार्यकारी अभियंता पी·डब्ल्यू·डी· 17 सीमेंट उठवाने के लिए गया तो रेलवे प्राधिकारियों द्वारा उसे, रेलवे वैगनों के पहुंचने की तारीख से जो उनकी स्थिति थी उस पर ध्यान दिए बगैर सभी वैगनों के लिए भारी जुर्माना §लगभग 4·5 लाख रुपये§ अदा करने के लिए कहा गया । चूँकि विभाग ने इस तरह की जुर्माना की भारी राशि को अदा करने से इन्कार कर दिया था । इसलिए रेलवे प्राधिकारियों 6-9-1991 को सीमेंट जब्त कर ली और उसे कहीं और हटा दिया । कार्यकारी अभियंता, पी·डब्ल्यू·डी· 17 ने अपने कार्यालयी पत्र दिनांक 16-9-1991 के जरिये 24-8-1991 से लेकर भुगतान की तिथि तक 18 प्रतिशत ब्याज सहित रु0:7,08,338/- का दावा दायर कर दिया था ।

तत्पश्चात् मुख्य दावा अधिकारी को कई पत्र लिखे गये । अन्ततः रेलवे ने रु0:2,61,286/- का दावा निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार स्वीकार किया :

§1§ रेलवे रसीद संख्या :789096 : 21-10-1993 के चैक के जरिए 17,175/- रुपये के दावे के लिए रु0:6842/- तय किया गया ।

§2§ रेलवे रसीद संख्या :789095 रु0:5,01,507/- के दावे हेतु दिनांक 26-6-1994 के चैक के जरिए रु0:1,84,979/- तय किया गया ।

§3§ रेलवे रसीद संख्या :789094 रु0:1,89,656/- का दावा दिनांक 8-5-1995 को चैक के जरिये रु0:69,825/- तय किया गया ।

§6§ रु0:7,08,338/- के दावे के विरूद्ध रेलवे ने रु0:2·61,286/- का दावा मंजूर किया । ब्याज सहित रु0:4,47,052/- की शेष धन राशि के भुगतान

हेतु मामले को न्यायालय में ले जाने का निर्णय लिया गया और इस मामले पर कार्यवाही चल रही है ।

§7§ विभाग ने सराय रोहिला गोदाम से सीमेंट उठाने का अथक प्रयास किया, किन्तु रेलवे प्राधिकारियों द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई और अन्ततः विभाग ने 24-8-1991 की तिथि से देय 18 प्रतिशत ब्याज सहित रु0:4,47,052/- का दावा मुख्य दावा अधिकारी के यहाँ दायर किया ।

समिति की सिफारिशें/राय

31-7-1997 को संपन्न अपनी बैठक में लेखा अनुच्छेद पर अंतिम रूप से चर्चा करते समय समिति ने सिफारिश की कि विभाग द्वारा रेलवे को भुगतान की गई जुर्माने की धन राशि तथा पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा उठाये गए क्षति की वसूली के लिए रेलवे के विरूद्ध एक निश्चित समय सीमा के भीतर दावा दायर करना चाहिए ताकि विभाग के अधिकार सुरक्षित रह सके ।

समिति ने यह भी सिफारिश की कि जो अनुवर्ती कार्यवाही की जाए उससे एक निश्चित समय के भीतर समितिको भी अवगत कराया जाए ।

अनुच्छेद संख्या 3·14 खाली स्थान हेतु किराये पर किया जाने वाला उपेक्षणीय व्यय

लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :

§1§ जनवरी, 1986 लोक निर्माण विभाग ने अन्तर्राज्यीय बस अड्डा परिसर में अपने दो प्रभागों के कार्यालय खोलने के उद्देश्य से दिल्ली विकास प्राधिकरण से 7290·02 वर्ग फुट क्षेत्र किराये पर लिया था -- एक कार्यालय के पास 3220·63 वर्ग फुट क्षेत्र था । जब कि दूसरे के पास 4069·39 वर्ग फुट क्षेत्र था । पहले कार्यालय ने 3220·63 वर्ग फुट क्षेत्र मार्च,1990 में खाली कर दिया था जिसमें से 1253·61 वर्ग फुट क्षेत्र सितम्बर,1991 तक दि0वि0प्रा0 को न सौंपकर बिना किसी उद्देश्य के यथावत अपने कब्जे में रखा गया था । जिसके परिणाम-स्वरूप लोक निर्माण विभाग को 5·16 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय खाली जगह के किराये के रूप में अप्रैल 1990 से सितम्बर 1991 तक की अवधि हेतु करना पड़ा जिसे बचाया जा सकता था ।

§II§ इस संबंध में समिति ने जानना चाहा कि लो0नि0वि0 द्वारा खाली की गई जगह समय पर दि0वि0प्रा0 को क्यों नहीं सौंपी गई, जब कि इस संबंध में पत्र केवल 15-7-1991 को ही लिखा गया था ।

§III§ कथित क्षेत्र के लिए निर्धारित तिथि तक किराये की कुल कितनी धन राशि का भुगतान किया गया ।

§IV§ क्या कथित क्षेत्र को न सौंपने तथा उसके लिए किराये का भुगतान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से कोई मंजूरी प्राप्त की गई है ।

विभाग द्वारा दिया गया उत्तर

समिति को जानकारी दी गई कि वर्तमान में 1253 वर्ग फुट क्षेत्र विभाग के कब्जे में है तथा वहाँ पर इसके कार्यालय काम कर रहे हैं । वास्तव में विभाग कथित क्षेत्र का लगातार उपयोग करता रहा है तथा वह केवल 18 महीने तक ही खाली था । समिति ने विस्तार से ऑडिट पैरा पर चर्चा की ।

समिति की राय/सिफारिशें

समिति ने सिफारिश की कि विभाग के कब्जे की 1253 वर्ग फुट क्षेत्र को समय पर खाली/वापस न करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी दी जायें और ऐसे निर्देश जारी किए जायें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न हो । अन्यथा फालतू न किए गए व्यय की धन राशि की दोषी अधिकारियों से वसूली की जाए । यह भी सुनिश्चित किया जाए कि लो0नि0वि0 द्वारा जिसके लिए किराए का भुगतान किया जा रहा हो, ऐसा कोई भी क्षेत्र/भवन या उसका कोई हिस्सा बिना उपयोग के न पड़ा रहे ।

3.15. बूस्टर वाटर पम्प की लागत की गैर वसूली:

इस संबंध में लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :

औद्योगिक कामगारों एवं समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए समेकित सहायता प्राप्त आवास योजना के अंतर्गत गिरि नगर, ओखला में दिल्ली प्रशासन ने 1184 चार मंजिलें रिहायशी मकानों का निर्माण कराया था जिसे किराये के आधार पर पात्रता प्राप्त कार्मिकों को आबंटित किया गया था इन मकानों में पानी की आपूर्ति दि0न0नि0 द्वारा की जाती थी । चूंकि दूसरी और तीसरी मंजिलों के निवासियों को पानी नहीं मिल पा रहा था

इसलिए उनको पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1976 में एक बूस्टर पम्प लगाने का निर्णय लिया गया था । तद्नुसार, श्रम विभाग द्वारा दिल्ली नगर निगम को पम्प लगाने, पम्प हाऊस के निर्माण तथा फीडर मेन डालने की लागत हेतु मार्च, 1976 12·45 लाख रूपये का भुगतान किया गया था । तथापि दि0न0नि0 द्वारा यह कार्य नहीं किया गया क्योंकि वहाँ दि0वि0प्रा0 पानी की आपूर्ति हेतु फीडर मेन डाल रही थी जिसकी वजह से बूस्टर पम्प के बेकार हो जाने का अंदेशा था ।

फरवरी, 1978 में भारत सरकार ने निर्णय लिया कि इन मकानों को इनमें रहने वाले व्यक्तियों को किराया खरीद (हायर परचेज) के आधार पर बेच दिया जाना चाहिए और 1979 में दिल्ली प्रशासन ने आवश्यक परिवर्तनों को पारित कर दिया । वसूले गए मकानों की लागत में बूस्टर पम्प की लागत शामिल नहीं थी क्योंकि वह लगाया ही नहीं गया था ।

अगस्त, 1978 में सम्पन्न एक बैठक में दि0न0नि0 बूस्टर पम्प लगाने हेतु 12·45 लाख रूपये को वापस करने के लिए सहमत हो गया था जिसका भुगतान बूस्टर पम्प लगाने के लिए पहले ही किया जा चुका था । तथापि उपरोक्त धन राशि अक्तूबर, 1994 तक वापस नहीं की जा सकी जिसके फलस्वरूप 18 वर्षों तक यह धन राशि रूकी पड़ी रही ।

इस संबंध में समिति ने विभाग के प्रतिनिधियों से बूस्टर पम्प न लगाने के कारणों के बारे में निम्नलिखित जानकारी माँगी :

(1) दिल्ली नगर निगम से 12·45 लाख रूपये की वसूली क्यों नहीं की गई ।

(2) क्या इस क्षति के लिए कोई जवाबदेही निर्धारित की गई है ।

(3) समिति ने आगे यह भी पाया कि जलाशय और बूस्टर पम्प शेड के निर्माण हेतु चिन्हित 1·95 एकड़ भूमि पर एक गुरूद्वारा तथा एक मंदिर द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर लिया गया है और इस भूमि के कुछ हिस्से का उपयोग इन धार्मिक निकायों द्वारा व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जा रहा है । चूँकि गिरि नगर क्षेत्र जिसमें क्वार्टरों का निर्माण किया गया था, वह वास्तव में एक श्रमिक बस्ती थी इसलिए

समिति की राय में इससे श्रम विभाग भी जुड़ा हुआ था । समिति ने श्रम विभाग से गिरि नगर, श्रमिक बस्ती में सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अंतर्गत निर्मित क्वार्टरों और इस क्षेत्र में चिन्हित भूमि पर जलाशय और बूस्टर पम्प के निर्माण, अवैध कब्जे में पड़ी भूमि तथा इस भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी तथा ऐसे अनाधिकृत कब्जों को हटाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में स्थिति को स्पष्ट करने की इच्छा व्यक्त की ।

समिति ने निम्नलिखित तथ्यों के बारे में और जानकारी माँगी :

(1) दिल्लली में लो0नि0वि0 के स्वामित्व में कुल संपत्ति ?

(ii) उपरोक्त में से अनाधिकृत कब्जे का क्षेत्र ?

(iii) लो0नि0वि0 द्वारा दि0वि0प्रा0 से पटपड़ गंज में फ्लैटों को कब खरीदा गया तथा उन फ्लैटों की लागत आई ?

(IV) अब तक इनके रख-रखाव पर व्यय की गई धन राशि ?

(V) क्या अभी तक ये फ्लैट खाली पड़े हैं, यदि हाँ तो उसके क्या कारण हैं ?

विभाग द्वारा दिए गए उत्तर

1. समिति को सूचित किया गया कि जहाँ तक बूस्टर पम्पों को लगाने के संबंध में भुगतान की गई 12.45 लाख रुपयों की वसूली का प्रश्न है, उसकी दि0न0नि0 से वसूली के लिए निरंतर प्रयास किए गए थे और तदुपरान्त यह मामला श्रम विभाग, द्वारा मुख्य सचिव के ध्यान में लाया गया था । मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार (उनके अर्ध शासकीय पत्र संख्या :17/जे.एस./पी.एम./85 दिनांक 7-1-1996 द्वारा निर्णय लिया गया था कि 12.45 लाख रुपये की धन राशि दि0न0नि0 की देनदारी के विरूद्ध समायोजित की जा सकती है ।

2. समिति को सूचित किया गया कि 12.45 लाख रुपयों के समायोजन की दृष्टि से किसी तरह की जवाबदेही निर्धारित करने का कोई मामला ही नहीं बनता था ।

3. श्रम विभाग ने भी इस संबंध में विस्तृत उत्तर दिया । श्रम विभाग द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार समिति के समक्ष निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की गई :

§।§ गिरि नगर, श्रमिक बस्ती में सहायता प्राप्त औद्योगिक आवासीय योजना के अंतर्गत 1184 क्वार्टरों का निर्माण किया गया था तथा इस क्षेत्र में जलाशय और बूस्टर पम्प के निर्माण हेतु 1·95 एकड़ भूमि चिन्हित की गई थी ।

औद्योगिक कामगारों जिनकी मज़दूरी रू0:500/- प्रति माह से अधिक न हो, आबंटित करने हेतु इन छोटे क्वार्टरों §प्रत्येक क्वार्टर का क्षेत्र 37·50 वर्ग मीटर§ के संबंध में 1979 में दिल्ली प्रशासन द्वारा किराया खरीद/स्वामित्व आधार पर इन मकानों को इनके आबंटियों को देने का एक नीतिगत निर्णय लिया गया था ।

इस श्रमिक बस्ती की सेवाएं खुली जगह के साथ दि0न0नि0 को 1990 में सौंप दी गई थी ।

इस तथ्य की दृष्टि से कि खाली पड़ी भूमि सहित बस्ती की सेवाएं दिल्ली नगर निगम को सौंप दी गई थी, अनाधिकृत निर्माण/कब्जों को हटाने सहित इस बस्ती के रख-रखाव की जिम्मेदारी पूरी तरह दि0न0नि0 पूरी तरह की ही बनती है ।

जब भी श्रम विभाग की निगाह में किसी विशेष क्वार्टर में अनाधिकृत निर्माण करने/ कब्जा करने का कोई मामला आता है, सहायक आयुक्त, दि0न0नि0 से तत्काल ऐसे मकान के आबंटी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया जाता है ।

एक बैठक में माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ने भी इच्छा व्यक्त की थी कि दि0न0नि0 से अनाधिकृत निर्माण/कब्जों को हटाने हेतु उचित कार्यवाही करने के लिए कहा जाए । तदनुसार समय-समय पर नगर निगम के प्राधिकारियों से क्वार्टरों में किए गए अनाधिकृत निर्माण/कब्जों को हटाना सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया था ।

इस कार्यालय के कर्मचारियों के एक दल ने 17 सितंबर, 1997 को स्थल का दौरा किया और पाया कि 1·95 एकड़ क्षेत्र के भूखण्ड पर कोई भी अनाधिकृत कब्जा नहीं था तथा भूमि अभी भी दि0न0नि0 के कब्जे में ही थी ।

दि0न0नि0 द्वारा लोहे की छड़ों युक्त पक्की चहार दिवारी वहाँ बनाई जा चुकी है । जहाँ तक धार्मिक स्थानों का प्रश्न है 1 एकड़ (लगभग) भूमि के एक टुकड़े पर एक गुरुद्वारा बनाया गया है तथा उसी के बगल में 0·60 एकड़ क्षेत्र में दक्षिण की ओर बूस्टर पम्प के निकट एक मंदिर भी बनाया गया है, उत्तर पंपिंग स्टेशन के उत्तर की दिशा में लगभग 100 मीटर के फासले पर लगभग 0·75 एकड़ क्षेत्र में एक मस्जिद भी निर्मित पाई गई । स्थानीय पूछताछ से पता चला कि इन धार्मिक स्थानों का निर्माण 20 वर्षों से भी अधिक पूर्व किया जा चुका था ।

4· जहाँ तक दिल्ली में लो0नि0वि0 के स्वामित्व की कुल संपत्ति तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा पटपड़ गंज में खरीदे गए फ्लैटों का प्रश्न है, विभाग ने 6-11-1997 के समिति के कार्यवाही सारांश के जरिए जो जानकारी मांगी गई थी उसका विस्तृत उत्तर दिया । विभागीय के उत्तर के अनुसार मार्च, 1980 में नई दिल्ली नगर परिषद् से कुल 1707 आवासीय क्वार्टर (1152 टाईप ए और 555 टाईप बी) खरीदे गए थे । खरीद से पूर्व दिल्ली लो0नि0 वि0 ने तकनीकी अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की थी जिसने अपनी रपट में तकनीकी खामियों का उल्लेख किया था जिनको दूर करने के लिए अतिरिक्त कार्य कराने की आवश्यकता थी/ तत्कालीन दिल्ली प्रशासन की हालांकि राय थी कि बावजूद खामियों के मकानों की अत्याधिक कमी को पूरा करने हेतु इन क्वार्टरों को ले लिया जाए । गृह मंत्रालय पहले एक स्वीकृति आदेश संख्या : यू·13022/3/79 दिनांक 31-3-1979 जारी कर चुका था जिसमें कहा गया था कि जो भी खामियाँ हैं उन्हें न0दि0न0प0 के खर्चे पर दूर किया जाए, जिसने बाद में उन खामियों को दूर नहीं किया ।

दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों को आबंटन 1980 में आरंभ हुआ था और अधिकतर मकानों का कब्जा ले लिया गया था ।

अब तक मरम्मत पर 357·71 लाख रुपए की धन राशि व्यय की जा चुकी है ।

फ्लैटों को गृह मंत्रालय के पत्र संख्याः यू·13022/3/79-दिल्ली दिनांक 31-3-1979 के द्वारा प्राप्त भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार खरीदा गया था । तथापि इनको लेने में कई समस्याएं थीं क्योंकि इन मकानों में कई खामियाँ थी और कुछ अतिरिक्त कार्य भी किया जाना था ।

मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0, मुख्य अभियंता न0दि0न0प0 और मुख्य अभियंता (सतर्कता) सहित दिल्ली प्रशासन द्वारा इस मामले को सुलझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था । अन्ततोगत्वा इस समिति की सिफारिशों के अनुसार इन क्वार्टरों का कब्जा ले लिया गया था ।

अब तक इन क्वार्टरों के रख-रखाव पर 201·17 लाख रुपये की धन राशि व्यय की जा चुकी है ।

टाईप-ए के सभी ब्लॉकों के सबसे ऊपर की मंजिल के क्वार्टरों को तत्काल तोड़ने का प्रस्ताव किया गया है ।

सभी अन्य क्वार्टरों को चरणवार ढंग से ध्वस्त करने और नए क्वार्टरों का निर्माण करने का भी प्रस्ताव है । 204 टाईप-1 क्वार्टरों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया है जिसके लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की स्वीकृति के रूप में 3,72,48,105/- रुपयों की धन राशि की मंजूरी दी जा चुकी है ।

समिति की सिफारिशें/राय :

विभाग द्वारा दिए गए उत्तरों तथा समिति के समक्ष दिए गए मौखिक साक्ष्यों पर विचार करने के उपरान्त समिति ने सिफारिश की कि गिरि नगर क्षेत्र सहित लो0नि0वि0 के स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों और भूमि पर अनाधिकृत कब्जों को हटाने के लिए निरंतर प्रयास किए जायें ।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

लोक लेखा समिति ने 1994 (1995 की संख्या-3) के समाप्त वर्ष तथा 1996 के समाप्त वर्ष हेतु प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में यथानिहित क्रमशः ऑडिट पैरा संख्या 3·2 और 3·17 एवं 3·18 पर अपनी 11 बैठकों में विचार किया ।

समिति ने वर्ष 1994 के समाप्त वर्ष (1995 की संख्या-3) और 1996 के समाप्त वर्ष से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रपट में यथा निहित लेखा परीक्षण आपत्तियों के बारे में प्रस्तुत की गई प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई क्रियान्वयन टिप्पणियों (एक्शन टेकन नोट्स) की जाँच-पड़ताल की । 15-10-1997 को संपन्न अपनी

बैठक में समिति ने इच्छा ज़ाहिर की कि समिति द्वारा की गई पूछताछ के बारे में अद्यतन क्रियान्वयन टिप्पणियाँ विभाग से मंगाई जायें । वांछित जानकारी प्राप्त होने के बाद समिति ने गंभीरतापूर्वक उन पर विचार किया और उनकी जाँच पड़ताल की ।

विस्तृत चर्चा, मौखिक साक्ष्य, विचारों के आदान-प्रदान तथा विभाग से प्रापत उत्तरों सहित तथ्यों की जाँच-पड़ताल के पश्चात् समिति ने लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पर अपनी राय व्यक्त की ।

अनुच्छेद संख्या 3·2 दिल्ली कालेज आँफ इंजीनियरिंग के लिए एक नए परिसर {कैम्पस} का निर्माण :

लेखा परीक्षण में निम्नलिखित अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाया गया है :

दिल्ली कालेज आँफ इंजीनियरिंग के लिए एक नए परिसर के निर्माण की 7 वीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के अन्त तक पूरा करने की जो योजना बनाई गई थी, वह पूरी नहीं हुई क्योंकि संस्थान के भवन, अध्यापन विभाग, कंप्यूटर केन्द्र, प्रशासनिक और पुस्तकालय शाखा का निर्माण होना, फिर भी {जून, 1994 तक} बाकी ही रह गया था । आवासीय भवनों के केवल एक हिस्से के निर्माण को पूरा किया गया था और यह भी बिना किसी उपयोग के खाली पड़ा रहा जिसके कारण भारी और अतिरिक्त व्यय का भार वहन करना पड़ा जिससे बचा जा सकता था । परियोजना की अनुमानित लागत जो 1985 में 26·99 करोड़ रूपये थी वह 1989 में में बढ़कर 70·19 करोड़ रूपए हो गई और 1993 तक यह लागत आगे बढ़कर 101·05 करोड़ रूपये हो गई । 1992-93 में 3·78 करोड़ रूपए की लागत पर जिन स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया गया था वह भी खाली पड़े रहे ।

वास्तुकार को जो शुल्क अदा किया जाना था, वह मान-दण्डों से अधिक था और उसकी गलत ढंग से गणना की गई थी जिसके परिणाम-स्वरूप लगभग 66 लाख रूपयों से अधिक की देनदारी बन गई । 1992 में 1·34 करोड़ रूपए का जो स्टील का सामान और 1993-94 में 29·37 लाख रूपए की लागत से जो बिजली से संबंधित माल खरीदा गया था उसका उपयोग किया जाना बाकी रह गया था और मार्च, 1994 में 21·39 लाख रूपए की लागत पर फिर बिजली से संबंधित माल खरीदा गया जब कि भवन के निर्माण हेतु

निविदा जारी करने का निर्णय लेना अभी बाकी ही रह गया था ।

23-4-1997 को विभाग द्वारा दी गई जानकारी को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

समिति ने उत्तर का अध्ययन किया और उसकी जाँच करने के बाद निम्नलिखित के विषय में जानने की इच्छा व्यक्त की :

1· निर्माण की लागत में कुल कितनी बढ़ोतरी हुई,

2· क्या परियोजना से संबंधित समय का जो लक्ष्य निश्चित किया गया था उसे प्राप्त किया गया और यदि नहीं, तो परियोजना को विभाग द्वारा पूरा करने में कितना समय लिया गया,

3· क्या सभी तरह की परियोजना अब पूरी हो चुकी है और यदि नहीं तो इस संबंध में अभी और कितना समय लगने की संभावना है :

4· विलंब के कारण क्या हैं ?

विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर

1· **निर्माण की लागत में कुल बढ़ोतरी :**

सरकार द्वारा 20-11-1985 के अनुमोदित ई0एफ0सी0 मीमो के जरिए मंजूर किए गए मूल अनुमान के अनुसार परियोजना की लागत 2699·8 लाख रुपए थी । मुख्यतया सांस्थनिक भवन में वृद्धि, स्वास्थ्य केन्द्र और अन्य अतिरिक्त परिवर्तनों और लागत सूची में बढ़ोतरी के कारण इस प्राक्कलन में पुर्नसंशोधन करके यह लागत 31-3-1990 को 7019·92 लाख रुपए कर दी गई । बाद में मुख्यतया लागत सूची में और वृद्धि तथा कार्य के विभिन्न संघटकों के क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण इस लागत में पुनः संशोधन करके 4-11-1993 को लागत 10105 लाख रुपए कर दी गई ।

हाल ही में किए गए पुनर्विचार के आधार पर आशा की जाती है कि कार्यों को 10505 लाख रुपये के पुनः संशोधित प्राक्कलित धनराशि के भीतर ही पूरा करा लेना संभव होगा । इसलिए परियोजना की लागत में कुल वृद्धि लगभग रू. 10505-2699.8 = 7406 लाख रू. तक होने की संभावना है ।

2. क्या परियोजना से संबंधित समय का जो लक्ष्य निश्चित किया गया था, उसे प्राप्त किया गया है, और यदि नहीं, तो परियोजना को विभाग द्वारा पूरा करने में कितना समय लिया गया ?

1985 में
हालांकि योजना की स्वीकृति के समय मूल ई.एफ.सी. मीमो के प्रस्ताव में परियोजना को पूरा करने के लिए 8 वर्ष का प्रावधान किया गया था, लेकिन इस परियोजना के मार्च,1992 में समाप्त 7वें पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक पूरा होने की आशा की गई थी । किन्तु विभिन्न कारणों से जैसे स्थानीय निकायों द्वारा योजना के अनुमोदन में विलंब, मूल प्राक्कलन की अ-संचालनीयता, कालेज की विस्तृत आवश्यकताओं को अनन्तिम रूप देने में विलंब, परामर्श में विलंब और धन की कमी आदि-आदि के कारण ऊपर कथित 7वें पंचवर्षीय योजना की अवधि में परियोजना पूरी नहीं की जा सकी । इस परियोजना के वर्ष 2000 ई. के अन्त तक पूरा होने की आशा की जाती है, बशर्ते स्थानीय निकाय शेष योजनाओं की मंजूरी में अनावश्यक विलंब न करें ।

3. क्या सभी तरह से परियोजना अब पूरी हो चुकी है, और यदि नहीं, तो इस संबंध में अभी और कितना समय लगने की संभावना है?

परियोजना अभी तक पूरी तरह पूरी नहीं हुई है तथा इसके वर्ष 2000 ई. के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा की जाती है । उल्लेखनीय है कि अधिकांश विकासात्मक कार्यों, सभी आवासीय क्वार्टरों, अतिथि गृह, ट्रांजिट हॉस्टल, विवाहित छात्रों के लिए छात्रावास, नर्सरी भवनों जैसे चार ब्वायज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, ऐकैडेमिक ब्लाक, मैकेनिकल ब्लॉक और ह्यूमैनिटिज ब्लॉक आदि के निर्माण कार्यों की मार्च,1998 तक पूरा हो जाने की आशा की जाती है, इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन इन भवनों में से काफी हिस्से के

निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है और उसे कालेज प्राधिकारियों की आपसी सहमति के कार्यक्रमों के अनुसार इस्तेमाल के लिए पहले ही सौंपा जा चुका है, कालेज अगस्त 1996 से प्रथम वर्ष की कक्षाएं तथा अगस्त 1997 से द्वितीय वर्ष की कक्षाएं आरम्भ कर चुका है और जनवरी, 1998 तक काफी बड़ा परिवर्तन करने की स्थिति में है ।

4. **विलंब होने के विस्तृत कारण:**

दिल्ली कालेज ऑफ इन्जीनियरिंग परियोजना के पूरा होने में विलंब के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:

1) मूल प्राक्कलन की अ-संचालनीयता और संशोधित वर्तमान ई.एफ.सी. के अननुमोदन के कारण विलंब।

भारत सरकार द्वारा जिस प्राक्कलन के आधार पर ई.एफ.सी. को स्वीकृति प्रदान की गई थी, वह केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) के प्लिन्थ एरिया दरों को स्वीकार करते हुए कालेज प्राधिकारियों द्वारा स्वयं तैयार किया गया था । प्राक्कलन की जाँच और उसमें संशोधित तत्कालीन शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति और तत्कालीन निर्माण एवं आवास मंत्रालय द्वारा भी किया गया था तथा प्रस्ताव को उनके द्वारा अन्तिम मंजूरी दी गई थी । प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार करने के पूर्व इच्छुक (क्लायंट) विभाग द्वारा दिए गए क्षेत्रों की आवश्यकताओं के आधार पर सामान्यतया आरम्भिक रूपरेखा तैयार की जाती है । इस मामले में शुरूआती स्थिति में कोई भी रूपरेखा तैयार नहीं की गई थी तथा कालेज प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न भवनों के तदर्थ क्षेत्रों को मानते हुए एकदम प्राक्कलन तैयार कर लिए गए थे ।

परियोजना की योजना बनाते समय इससे समस्या उत्पन्न हो गई क्योंकि जिन क्षेत्रों पर विचार किया गया था उन्हें, स्थल की मांगों और स्थानीय अभिकरणों जैसे दि.न.नि. और दि.अ.आ.क. (डी.यू.ए.सी.) की उपविधियों (बाईलॉज)

जैसी अनेक बातों को ध्यान में रखते हुए उचित वास्तुशिल्पीय योजना (आर्किटक्चरल प्लानिंग) सहित रेखाचित्रों में रूपान्तरित करना था । मूल प्राक्कलन बगैर किसी ब्यौरे के तैयार किया गया था तथा रेखाचित्रों को अमली रूप देना कठिन था तथा इसीलिए उनमें मूल रूप से परिवर्तन करना पड़ा था जिसके कारण परियोजना को क्रियान्वित करने में काफी विलंब हुआ ई.एफ.सी. में 31.3.1990 और 4.11.1993 को क्रमशः दो बार संशोधन किया गया । संशोधित वर्तमान ई.एफ.सी. के अनुमोदन की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है ।

2) दिल्ली अरबन आर्ट कमिशन सहित स्थानीय निकायों द्वारा अनुमोदन करने में देरी के कारण विलंब ।

नवम्बर, 1985 में परियोजना के अनुमोदन से पूर्व ही लो. नि.वि. द्वारा पहले ही एक ले-आउट प्लान का प्रस्ताव तैयार करके स्थानीय निकायों को भेज दिया गया था । तथापि केवल आवासीय परिसर का ही नक्शा (ले-आउट) दि.अ.आ.क. द्वारा दिसम्बर, 1986 में अनुमोदित किया गया था जिसका अनुमोदन दि.न.नि. ने 11.3.1987 को किया । परियोजना के लिए सोच समझकर जो योजना पहले तैयार की गई थी, उसमें संशोधन किया जाना था तथा दिल्ली के 2001 के संशोधित मास्टर प्लान को, जिसे दि.वि.प्रा. द्वारा अन्तिम रूप दिया गया था, ध्यान में रखते हुए उस योजना में एक नई एप्रोच रोड का भी प्रावधान करना था । इस प्रकार दि.न.नि. ने पहले केवल आवासीय क्षेत्र का ही ले -आउट अनुमोदित किया था । पुस्तकालय परिसर के रेखाचित्र पर विचार करते समय दि.अ.आ.क.) ने मई 1991 में दिल्ली प्रशासन को एक निजी अनुभवी वास्तुकार (आर्किटैक्ट) को डिजाइन आदि तैयार करने हेतु रखने का परामर्श दिया था क्योंकि ले-आउट प्लान कमिशन को स्वीकार्य नहीं थे । तदनुसार दिल्ली सरकार ने जुलाई 1992

में मैसर्ज अजय चौधरी एण्ड ऐसोसिएट्स की परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति की थी तथा उनके परामर्श करार को मई 1993 में अन्तिम रूप दिया गया था । परामर्शक वास्तुकार द्वारा तैयार किए गए कुछ भवनों के ले-आउट 23.5.1994 को दि.न.नि. द्वारा अनुमोदित किए गए । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि ले-आउट प्लानों को अनुमोदित करने में काफी विलंब हुआ था। वैद्युतकी, कम्प्यूटर साइंस, इलैक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग, प्रशासनिक ब्लॉक और ब्वायज हॉस्टल से संबंधित भवन योजनाएं केवल 19.4.1994 को ही दि.न.नि. द्वारा अनुमोदित की गई तथा इन भवनों के निर्माण कार्य का ठेका तत्पश्चात् सितम्बर, 1994 में तत्काल ही दे दिया गया था । कम्प्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी भवन की भवन योजना (बिल्डिंग प्लान) जो 1.8.1995 को प्रस्तुत की गई थी, उसका स्थानीय निकायों द्वारा अनुमोदन 7.7.1997 को किया गया ।

अनुलग्नक के रूप में संलग्न विवरण जिसमें प्लानों के अनुमोदन को क्रमिक रूप से तिथिवार दर्शाया गया है, के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि स्थानीय निकायों ने आवासीय भाग की योजनाओं के अनुमोदन के लिए 28 महीने का समय लिया और इससे आगे आवासीय भवनों, अतिथि गृह और विवाहित छात्रों के छात्रावास हेतु भवन योजनाओं का अनुमोदन करने में 23 महीने का समय लिया । सांस्थनिक परिसर योजनाओं के अनुमोदन की पहली अवस्था में कुल मिलाकर 4 वर्ष का समय लगा ।

निजी वास्तुकार द्वारा प्रस्तुत किए गए उपर्युक्त भवनों के नक्शों को भी अनुमोदित करने में 23 महीने का समय लिया गया । 16.5.1997 को प्रस्तुत किए गए शेष भवनों के नक्शे अभी तक दि.न.नि. द्वारा बिल्डिंग प्लान कमेटी के सामने नहीं रखा गया है और यदि इसी तरह देरी होती रही तो आगे भी परियोजना के पूरा होने में विलंब होगा ।

3) कालेज प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित आवश्यकताओं तथा परामर्शदाताओं द्वारा विस्तृत ब्यौरे को अनन्तिम रूप न दिए जाने के कारण विलम्बः

यह बात भी ध्यान में आई कि कालेज प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक ब्यौरों को तथा बाद में परामर्शदाताओं द्वारा वास्तुशिल्प संबंधी विवरणों को अनन्तिम रूप देने में देरी की गई । उदाहरणार्थ उल्लेखनीय है कि पी.जी. होस्टल, वारडेन आवासों, छात्र गति विधि केन्द्र, व्यायाम शाला (जिमखाना), व्यावसायिक भवन, सुविधाओं, प्रेक्षागृह (आँडिटोरियम), खेल का मैदान तथा गैरेजों आदि जैसे जिन कार्यों को पूरा करने के लिए अनिवार्य रूप से हाथ में लेने की जरूरत थी, उनकी पहचान 20.12.96 को केवल कालेज समन्वयन समिति ही कर सकी । अप्रैल, 1997 से अक्टूबर, 1997 तक किए गए रेखाचित्रों के अनुमोदन के पश्चात् अब प्रारंभिक प्राक्कलनों को अनन्तिम रूप दिया जाना है तथा ये कार्य प्रशासनिक अनुमोदन और प्राक्कलनों की स्वीकृति मिलने के बाद किए जायेंगे ।

अकादमिक और प्रशासनिक खण्ड की दीवारों को अलग करने तथा कुछ प्रयोगशालाओं के अन्दरूनी ब्यौरों को दिसम्बर, 1996 से अप्रैल 1997 के दौरान ही अन्तिम रूप दिया गया है तथा इसके कुछ कार्यात्मक हिस्सों को सही रूप से अन्तिम रूप देने के कारण कुछ हिस्सों के निर्माण कार्य की योजना रुकी पड़ी है । इस स्थिति में इन कार्यों की योजना तथा इनके कार्यान्वयन के कारण भी इन भवनों को पूरा करने में विलंब हो रहा है ।

4) वास्तुशिल्पीय ढांचे और परामर्शदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए अन्य दस्तावेजों के ब्यौरों को देने में हुई देरी के कारण विलंब ।

परामर्शदाताओं की ओर से भी रेखाचित्रों और नक्शों आदि को उपलब्ध कराने में देरी हुई है जिसके कारण काफी

समय बर्बाद हुआ है । परामर्शदाताओं से स्थानीय निकायों से अनुमोदन प्राप्त होने के 35 सप्ताह के भीतर अन्तिम वास्तुशिल्पीय ब्यौरों सहित सभी प्रकार के विवरणों को अन्तिम रूप देने की उम्मीद की गई थी किन्तु परामर्शदाताओं द्वारा न तो इस बात का पालन किया गया और न ही उसने इस कार्य को समय पर पूरा किया ।

5) मिट्टी की खराब किस्म ।

प्रारम्भिक अवस्था में मिट्टी का कोई परीक्षण नहीं किया गया था तथा मिट्टी की दशा के बारे में मूल ई.एफ.सी. मीमो तैयार करते समय कालेज प्राधिकारियों को कुछ भी पता नहीं था। बाद में जब मिट्टी का परीक्षण किया गया तो यह ऊपरी सतह में कच्ची गाद की तरह पाई गई, अतएव इमारतों की मजबूती और उनके स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए नींव में 20 मीटर गहराई तक विशेष प्रकार का सांचा डालने की जरूरत थी, जिसके निर्माण के लिए और अधिक समय की आवश्यकता थी ।

6) धनराशि की कमी ।

वार्षिक बजट में जिस धनराशि का प्रावधान किया गया था, वह किसी भी तरह से आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी । इसके अलावा सुगमता से साख पत्र (एल.ओ.सी.) प्राप्त होने में बाधक दर्शायी गई वार्षिक मांग वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारित नहीं की जाती है जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारी आदि को भुगतान करने में विलंब होता है या उसमें कटौती करनी पड़ती है जिसके कारण उचित कार्य संचालन में अवरोध उत्पन्न होता है ।

7) सहायक सरकारी निकायों की भूमिका ।

निम्नलिखित कुछ सरकारी निकायों द्वारा समय पर कार्यवाही न करने के कारण भी विलंब हुआ है :

(क) बाढ़ नियन्त्रण विभाग द्वारा भराई हेतु मिट्टी की आपूर्ति में देरी,

(ख) बरसाती नाले के संबंध में बाढ़ नियन्त्रण विभाग द्वारा की गई देरी । यह अभी तक भी अपूर्ण है ।

(ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा सीवर कनैक्शन देने में की गई देरी । जिसे अभी भी चालू करना बाकी है।

(घ) दि.न.नि. द्वारा अभी तक कोई भी जल आपूर्ति का कनैक्शन नहीं दिया गया है,

(ड.) दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा अभी तक कोई भी एच.टी. इलैक्ट्रिकल कनैक्शन प्रदान नहीं किया गया है,

(च) इस दूर-दराज क्षेत्र में अनियमित बिजली की आपूर्ति के कारण निर्माण कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई है,

(छ) डी.जी.एस.एण्ड डी. द्वारा प्रदान की जाने वाली सामग्री को मुहैया कराने में विलंब । प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में डी.जी.एस.एण्ड डी. द्वारा दर अनुबंध को अन्तिम रूप देने में की गई देरी के कारण सीमेंट की समयबद्ध आपूर्ति प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा है,

(ज) रेलवे द्वारा समय पर रेलवे वैगनों की व्यवस्था न करने के कारण सीमेंट की कमी का सामना करना पड़ा,

(झ) विभिन्न नियामक सरकारी नियंत्रणों जैसे दिल्ली में क्रैशरों की बंदी, हाट-मिक्स प्लांटों की बंदी और ट्रान्सपोर्ट स्ट्राइक आदि का भी विलंब में योगदान रहा ।

8) कुछ ठेकेदारों द्वारा काम करने में विलंब ।

कुछ अनुबंधों के मामलों में काम करने में ठेकेदारों द्वारा किए गए विलंब से कार्य की प्रगति में बाधा पहुँची जिसके लिए आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही की गई है/की जा रही है ।

समिति की सिफारिशें/राय

सावधानीपूर्वक विभिन्न उत्तरों पर विचार करने के बाद समिति सिफारिश करती है कि 2000 ई. तक परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने हेतु सभी आवश्यक प्रयास किए जाने चाहिए तथा उस परामर्शक के विरुद्ध भी कार्यवाही की जानी चाहिए जिसने निर्धारित अवधि में वास्तुशिल्पीय योजना का विवरण प्रस्तुत नहीं किया ।

31.3.1996 को समाप्त वर्ष हेतु नियन्त्रण और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का अनुच्छेद संख्या 3.17 :

लेखा परीक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:

सरकार के निर्देशों की अवहेलना करते हुए दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नॉलॉजी ने एक प्रायवेट एजेंसी के जरिये विज्ञापन दिया था तथा सरकार द्वारा अनुमोदित दर के अनुसार 4.04 लाख रुपये के स्थान पर इस विज्ञापन पर 23.53 लाख रु. व्यय किया था ।

रा.रा.रा. क्षे. दिल्ली सरकार के निर्देशानुसार दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के सभी विज्ञापनों की सूचना एवं प्रचार निदेशालय द्वारा निर्णीत या अनुमोदित दरों पर ही इस निदेशालय के पैनल में दर्ज फर्मों के जरिए ही जारी करना आवश्यक है । उपर्युक्त निर्देश की अवहेलना करते हुए दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नॉलॉजी ने अक्तूबर, 1994 और मई, 1995 के दौरान दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुमोदित दरों की बजाए व्यावसायिक दरों पर एक माया एसोसिएट्स नामक प्रायवेट एजेंसी के जरिया प्रकाशित कराया था और इस एजेंसी को किए गए कुल 8.61 लाख रु. के भुगतान दर 7.6 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय किया था । इस सिलसिले में डी.आई.टी. अनुमोदित दरों की अपेक्षा 6 गुना अधिक विज्ञापन प्रभार अदा किया । इसके अलावा उसी एजेंसी के जरिये

14.92 लाख रू. की व्यावसायिक दर पर अक्तूबर, 1995 में भी विज्ञापन प्रकाशित कराया । डी.आई.टी. ने इन विज्ञापनों से संबंधित बिल प्रस्तुत नहीं किया और यदि यही विज्ञापन सूचना एवं प्रचार निदेशालय द्वारा प्रकाशित किए गए होते तो डी.आई.टी. को जो भुगतान करना पड़ता, उसकी तुलना में उसने 12.23 लाख रू. अधिक भुगकतान किया ।

डी.आई.टी. ने नवम्बर, 1996 में बताया कि चूंकि उपरोक्त मामलों में यह विज्ञापन प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कहने पर प्रकाशित कराये गए थे, इसलिए संस्था को उन परिस्थितियों, औचित्य के बारे में जानकारी नहीं थी, जिनके अन्तर्गत इन विज्ञापनों को किसी प्रायवेट एजेंसी के माध्यम से प्रकाशित करवाया गया था । डी.आई.टी. का यह तर्क इसलिए मान्य नहीं है क्योंकि संस्था ने ही एजेंसी की नियुक्ति की थी ।

इस संबंध में समिति ने विभागीय उत्तर का अध्ययन किया और पाया कि विभाग ने उल्लंघन की बात स्वीकार कर ली है । समिति ने जानना चाहा कि क्या उन अधिकारियों की इस मामले में कोई जवाबदेही तय करते हुए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है जिन्होंने सरकारी निदेशों की अवहेलना करते हुए प्रायवेट एजेंसी को विज्ञापन जारी किया था।

समिति ने इस बात पर भी गौर किया कि क्या विज्ञापनों के संबंध में दिल्ली सरकार द्वारा जारी निर्देश स्वायत निकायों पर स्वतः लागू होते हैं । समिति ने यह भी जानना चाहा है कि क्या प्रशिक्षण एवं तकनीकी विभाग ने उस एजेंसी को भुगतान जारी किया है, जिसके जरिये सू. एवं प्र. वि. द्वारा विज्ञापन दिए गए थे । समिति ने यह भी जानना चाहा कि क्या जिस समय डी.आई.टी. ने विज्ञापन दिया था, उस समय ऐसे कोई निर्देश उसे उपलब्ध थे ।

अतएव समिति ने इच्छा व्यक्त की कि उसके समक्ष एक आन्तिम ऐक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए जिसमें निर्देशें का अनुसरण करते हुए किए गए भुगतान के बारे में अद्यतन स्थिति की जानकारी भी दी जानी चाहिए ।

विभाग द्वारा दिया गया उत्तर

समिति को सूचित किया गया कि मैसर्ज माया ऐसोसियेट्स नामक एक प्रायवेट एजेन्सी के माध्यम से 5 विज्ञापन जारी किए गए, जिनके ऊपर ऑडिट पैरा में सम्मिलित है ।

समिति को यह भी जानकारी दी गई कि मार्च,1987 में वित्त विभाग ॥ए॰सी॰ को-आर्डिनेशन॥ द्वारा जारी "डेलिगेशन ऑफ पॉवर" के संबंध में मौजूदा गार्ड फाइल में निर्देश मौजूद थे, जिसके अनुसार दिल्ली सरकार के विभागाध्यक्ष को ही डी॰ए॰वी॰पी॰ को भुगतान करने की पूरी शक्ति प्रदान की गई है। अन्य एजेंसियों को विज्ञापन जारी करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । जाहिर है कि विभागाध्यक्ष द्वारा अन्य एजेंसियों को कोई भी विज्ञापन या भुगतान जारी नहीं किया जा सकता है । यह भी सूचित किया गया कि दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नॉलॉजी की स्थापना 1983 में एक सरकारी विभाग के रूप में की गई थी । इंस्टीट्यूट के प्रधानाचार्य को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया था । 1987 में यह इंस्टीट्यूट स्वायत्त बन गया किन्तु इसके मेमोरेण्डम ऑफ ऐसोसिएशन एण्ड रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स के अनुसार इसके निर्देशक ॥डायरेक्टर॥ को ही विभागाध्यक्ष के अनुरूप व्यय करने की शक्तियाँ प्रदान की गई थीं ।

सरकार या जनरल काउन्सिल के नीति निर्देशों तथा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार और अनुमोदित बजट के प्रावधानों के अधीन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भी सभी प्रकार का व्यय करने का अधिकार था ।

चूंकि जनरल काउन्सिल के कोई नीतिगत निर्देश नहीं थे । इसलिए जाहिर है कि सरकार के ही निदेशों का पालन करना जरूरी था । तदनुसार बिना किसी अपवाद के दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नॉलॉजी ने 1994 तक इन्हीं निर्देशों का पालन किया और विज्ञापन केवल डी॰आई॰पी॰ के माध्यम से ही भेजे गए । जिन विज्ञापनों की बात की गई है, केवल वही विज्ञापन इंस्टीट्यूट के इतिहास में डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट के अनुसार प्रायवेट एजेंसी के माध्यम से जारी किए गए थे ।

सूचना एवं प्रचार निदेशालय समय-समय पर जारी अपने परिपत्रों को लगातार डी॰आई॰टी॰ को भेजता रहा है और ये परिपत्र इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड में दर्ज है तथा इंस्टीट्यूट के अधिकारियों द्वारा अनुपालन करने हेतु इन्हें नोट भी किया गया था ।

समिति को यह भी जानकारी दी गई कि दिल्ली सरकार इस मामले पर विचार कर चुकी है और उसने उन व्यक्तियों को जो प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये गये हैं, कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है ।

समिति की सिफारिशें/राय

इस संबंध में समिति ने सिफारिश की कि चूंकि विभाग ने उल्लंघन की बात मंजूर कर ली है । इसलिए इस संबंध में जो भी कार्यवाही अंतिम रूप से की जाए उसकी प्रगति के बारे में समय-समय पर समिति को भी अवगत कराया जाए ।

31-3-1996 को समाप्त वर्ष हेतु नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का लेखा परीक्षण अनुच्छेद संख्या 3·18

लेखा परीक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकाश में आई :

वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान दिल्ली इंस्टीट्यूट आॅफ टेक्नालोजी ॥डी·आई·टी·॥ के सहायता अनुदान की प्राप्तियों एवं व्यय की पुनर्समीक्षा करने पर भारी मासिक इतिशेष ॥मंथली क्लोजिंग बेलैंस॥ पाया गया जिसे या तो बचत बैंक खाते में या नकद धन राशि के रूप में रखा गया था ।

चूंकि तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने हेतु जितनी धन राशि नीचे दर्शायी गई है उसकी आवश्यकता नहीं थी इसलिए लाभप्रद तरीके से अल्पकालिक डिपोजिटों के रूप में उसका निवेश किया जा सकता था जिसके फलस्वरूप डी·आई· टी· को चालू दरों पर इसकी 2 महीनों की जरूरतों को पूरा करने हेतु प्रत्याशित धन राशि रखने के बाद भी 11·25 लाख रुपयों का ब्याज प्राप्त हो सकता था ।

	वर्ष की विभिन्न तिमाहियों के दौरान न्यूनतम इतिशेष ॥रु0 लाखों में॥	20प्रति0 धनराशि रोकने के बाद शेष धनराशि ॥रु0 लाखों में॥	बचत बैंक और अल्पकालिक डिपाजिटों में धनराशि रखने पर ब्याज में न्यूनतम अन्तर	90 दिनों तक धनराशि रखने पर जोड़ा गया ब्याज ॥रु0॥	कुल ॥रु0॥
3-94	॥1॥ रु0:87 ॥5/93, 6/93 और 7/93 के लिए ॥	70	4 प्रतिशत	69041	
	॥2॥ रु0:65॥8/93, 10/93 और 11/93 के लिए॥	52	4 प्रतिशत	51287	
	॥3॥ रु0:34 ॥11/93, 12/93 और 1/94 के लिए)	27	4 प्रतिशत	26630	146958
4-95	॥1॥ रु0:62 ॥6/94, 7/94 और 8/94 के लिए॥	52	4 प्रतिशत	51287	
	॥2॥ रु0:259 ॥9/94, 10/94 और 11/94 के लिए	207	4 प्रतिशत	204164	
	॥3॥ रु0:83 ॥12/94, 1/95 और 2/95 के लिए	66	4 प्रतिशत	65096	320547

	2	3	4	5	6
-96	§1§ रु0:34 §6/95, 7/95 और 8/95 के लिए§	27	4 प्रतिशत	26630	
	§2§ रु0:430 §9/95, 10/95, और 11/95 के लिए§	334	4 प्रतिशत	339287	
	§3§ रु0:225§12/95,1/96 और 2/96 के लिए	180	4 प्रतिशत	177533	543450
-97	§1§ रु0:145 §8/96,9/96 और 10/96 के लिए§	116	4 प्रतिशत	114410	114410
	कुल				1125365

नवम्बर, 1996 में डी0आई0टी0 ने बताया था कि सरकार ने अल्पकालिक डिपाजिटों में निवेश करने पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है किन्तु वह अपने कथन के समर्थन में कोई भी प्रमाण देने में विफल रहा ।

इस संबंध में समिति ने विभाग से प्राप्त अद्यतन उत्तर का अध्ययन किया और इच्छा व्यक्त की चूंकि विभाग अपने इस कथन के समर्थन में कि सरकार ने अल्पकालिक डिपाजिटों में निवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है, के बारे में प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल सिद्ध हुआ है इसलिए इस संबंध में समिति के समक्ष अद्यतन की गई कार्यवाही रपट प्रस्तुत की जाए ।

समिति के समक्ष प्रस्तुत उत्तर

समिति को सूचित किया गया कि यह कहना सही नहीं है कि खराब नकद प्रबंधन के कारण नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी §जिसे पहले दिल्ली इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी के नाम से जाना जाता था§ ने 11.25 लाख रुपये का ब्याज अर्जित नहीं किया है ।§

इंस्टीट्यूट के औसत मासिक व्यय और आने वाले महीनों में ज्ञात और अज्ञात देनदारियों पर विचार करने के बाद ही अल्पकालिक बचतों §डिपाजिटों§ में निवेश करना पड़ता है । गत कुछ वर्षों के दौरान इंस्टीट्यूट विकास की अवस्था खास कर पप्पन कलाँ में भूमि, भूमि विकास और परिसर की सड़कों आदि के निर्माण के संबंध में दि0वि0प्रा0 को भुगतान सहित अपने स्वयं के परिसर के विकास के क्षेत्र की अवस्था से गुजर रहा था ।

बाद के महीनों में मासिक व्यय के साथ साथ ऑडिट पैरा में उद्धृत प्रत्येक तिमाही के इतिशेष का विस्तृत विश्लेषण तालिकाबद्ध रूप में नीचे दर्शाया गया है ।

...ट पैरा के ...र तिमाही	ऑडिट पैरा के अनुसार इतिशेष	बाद के तीन महीनों में व्यय (रु० लाखों में)	टिप्पणी
1	2	3	4
...,1993	रु०:87·00	अगस्त,93 - 8·44 सितम्बर,93 - 5·27 अक्तूबर,93 - 8·10 21·81	
...बर,93 ... समाप्ति ...	रु०:65·00	नवम्बर,93 - 9·70 दिसम्बर,93-21·43 जनवरी,93 -66·21 97·34	इतिशेष का पूरी तरह उपयोग किया गया, सहायता अनुदान का भी पूरी तरह उपयोग किया गया ।
...3-94 ...री,94 की ...प्ति तक	रु०34-00	फरवरी,94 - 39·92 मार्च,94 -156·60	34 लाख रुपए के इतिशेष का उपयोग अगले माह के दौरान ही कर लिया गया ।
...4-95 ...,94	रु०:62-00	सितम्बर,94 - 14·28 अक्तूबर,94 - 99·60 नवम्बर,94 - 14·63 1 28·51	अगले 2 महीनों में इतिशेष का पूरी तरह उपयोग कर लिया गया । अतिरिक्त व्यय भी किया गया ।
...4-95 ...बर,94 की ...प्ति तक	रु०:259·00	दिसम्बर,94 - 24·47 जनवरी,95 -109·57 फरवरी,95 - 41.64 175.68	70 प्रतिशत से अधिक का उपयोग अगले 3 महीनों में किया गया ।
...4-95 ...री,95 की ...प्ति तक	रु०:83·00	मार्च,95 - 83·31	पूरी धनराशि का उपयोग अगले महीने में ही कर लि या गया ।

1	2	3	4
..95-96 ..,95 की ..प्ति तक	रु0:34·00	सितम्बर,95 - 14·76 अक्तूबर,95 -16·27 31·03	90 प्रतिशत से अधिक की धनराशि का उपयोग अगले महीने ही कर लिया गया ।
..95-96 ..बर,95	रु0:430·00	दिसम्बर,95 - 82·46 जनवरी,96 - 95·82 फरवरी,96 - 26·68 मार्च,96 - 225·37 430·33	
..95-96 ..री,96 की ..माप्ति तक	रु0:225·00	मार्च,95 - 225·37	पूरी धनराशि का उपयोग अगले महीने में ही कर लिया गया ।
..95-96 ..बर,96	रु0:145·00	नवम्बर,96 - 60·24 दिसम्बर,96 - 63·48 123·72	

ऊपर के विश्लेषण से साफ साफ पता चलता है कि प्रत्येक मामले में हर तिमाही के अन्त में इतिशेष धनराशियों का उपयोग अगले महीने या अगले 3 महीनों के दौरान उपयोग कर लिया गया था और इस तरह 3 महीनों के लिए भी अल्पकालिक बचत में निवेश करने की कोई गुंजाइश नहीं थी । अल्पकालिक बचतों में धन जमा कराने का यदि कोई निर्णय लिया जाता तो वह आर्थिक रूप से न तो उचित होता और न ही उसका कोई औचित्य होता । वास्तव में यदि अल्पकालिक बचतें की गई होतीं तो इंस्टीट्यूट के पास अगले महीनों में भुगतान करने के लिए धन राशि उपलब्ध नहीं होती जिसके कारण अगले महीनों में किए जाने वाले भुगतान को प्रभावित होते ही उसके साथ साथ विकास कार्यों में भी बाधा पहुंचती तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में योजना निधि को वापस भी करना पड़ता ।

इस तरह आडिट पैरा में जो टिप्पणियाँ की गई हैं, वह वित्तीय रूप से न तो उचित ही हैं और न ही उन्हें वांछनीय कहा जा सकता है ।

तथापि इंस्टीट्यूट कुशल नकद प्रबंधन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत हैं और जहाँ भी उचित और वांछनीय प्रतीत होता है वहाँ निवेश कर रहा है । बी0ओ0जी0 के निर्णयानुसार इंस्टीट्यूट राष्ट्रीयकृत बैंकों में 2 वर्षीय परिपक्वता की जी0पी0एफ0 में दीर्घकालिक निवेश कर चुका है । वर्तमान में यह इस प्रकार की निवेश की धन राशि 18,79,495/- रुपये है ।

समिति की सिफारिशें और राय

लेखा परीक्षण में उल्लिखित खराब धन प्रबंधन के बारे में-

विभाग से प्राप्त ताज़ा जानकारी को सावधानी से जाँच करने तथा मौखिक साक्ष्य दर्ज करने के बाद समिति ने निर्णय लिया कि विभाग द्वारा दी गई जानकारी समिति द्वारा की गई पूछताछ के संदर्भ में संतोषजनक थी । समिति सिफारिश करती है कि भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए निर्देशों का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए ।

कु0 पूर्णिमा सेठी
चेयर पर्सन